*माननीय न्यायालय एस. एस. सोधी, जे.*

*पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़-अपीलार्थी।*

*बनाम*

*कमांडर एम. एल. महेंद्रू,-प्रतिवादी।*

*1990 की सिविल मूल अपील संख्या 6*

*3आरडी अक्टूबर, 1990*

***स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, विनियम, 1967-विनियमन 37-ए-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 39 नियम 1 एवं 2-अस्थायी निषेधाज्ञा-सेवानिवृत्ति के दिन ही दायर किए गए मुकदमे में अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान द्वारा सेवा की अवधि को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है-अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुदान-सिद्धांत, पुनरावर्तित- वादी द्वारा सेवा में बने रहने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास-दंडात्मक लागत के साथ खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी आवेदन।***

*अभिनिर्धारित किया जाता है कि* कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत, अस्थायी निषेधाज्ञा के शासी अनुदान को अस्पष्ट कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया गया है।कोई अस्थायी निषेधाज्ञा तब तक जारी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तीनों आवश्यक अवयवों पूर्ण तरह सिद्ध नहीं होते हैं, अर्थात् (i) *प्रथमदृष्टया मामला,* (ii) सुविधा का संतुलन, (iii) अपूरणीय क्षति जिसकी भरपाई धन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है।यदि कोई पक्ष तीन अवयवों में से किसी को भी सिद्ध करने में विफल रहता है तो वह निषेधाज्ञा का हकदार नहीं होगा। वादी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में बने रहने के लिए आधारों पर और उन कारणों से अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने का स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण प्रयास जो स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी में भी थे, पूरी तरह से अस्थिर था ।निचली अदालत ने अपनी ओर से वादी को राहत देने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सुव्यवस्थित स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना की।इसलिए, विवादित आदेश को स्पष्ट रूप से गलत और पूरी तरह से अनुचित करार दिया जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है। इसके अलावा, इस अपील को स्वीकार करते समय वादी पर 5,000 , रुपये की दंडात्मक लागत भी अधिरोपित की जाती है।

(पैरा 10 & 15)

***सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 24 और 151-अपील के हस्तांतरण के लिए आवेदन-अत्यावश्यक मामलों के निपटारे के दौरान न्यायिक अधिकारियों के कर्तव्यों की व्याख्या की गई।***

*अभिनिर्धारित किया कि* यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के साथ धारा 151 के तहत स्थानांतरित किए जाने पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। किसी न्यायिक अधिकारी के मामले में, जिसे तत्काल मामलों से निपटने का कर्तव्य सौंपा गया है, छुट्टियों के दौरान भी, न्याय के हित इसे बाध्यकारी बनाते हैं कि ऐसे अधिकारी के समक्ष आने वाले किसी भी मामले के गुण-दोष पर उचित ध्यान दिया जाए, ताकि मुद्दे की गंभीरता और महत्व को समझे बिना केवल नियमित आदेशों द्वारा पारित किए जा रहे किसी भी अन्याय से बचा जा सके।

(पैरा 16)

*जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत के 19 जून,1990 के आदेश के विरुद्ध अपील। सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित धारा 24 जिसके तहत उन्होंने निषेधाज्ञा के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया और आदेश दिया कि अपील पहले ही निपटारे के लिए विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ को सौंपी जा चुकी है और आगे आदेश देते हुए कहा कि इस स्तर पर उस अदालत से इसे वापस लेने के लिए कोई आधार नहीं है।।*

**डी. एस. नेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता उनके साथ अधिवक्ता श्री अरुण नेहरा, अपीलार्थियों के लिए**

**प्रतिवादी की ओर से अनिल मल्होत्रा, अधिवक्ता**

**निर्णय**

(1) एक अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु से परे सरकारी सेवा के कार्यकाल को लंबा करना और वह भी उसी दिन जारी किया गया, जिस दिन वह इतनी उम्र प्राप्त कर चुका था, जिसे यहां चुनौती दी गई है।

(2) इस तरह के आदेश के उत्कृष्ट चित्रण से प्रतीत होता है कि इस आदेश को असाधारण और वर्तमान मामले की परिस्थितियों के संदर्भ में, वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश चंडीगढ़ श्री जी. सी. सुमन के 31 मई, 1990 के विवादित आदेश द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुदान, अदालत की प्रक्रिया का लगभग दुरुपयोग था के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

(3) वादी, कमांडर एम. एल. मेहंद्रू, एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी, ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (इसके बाद 'संस्थान' के रूप में संदर्भित) में अस्पताल

अभियंता (मैकेनिकल) का पद संभाला।यह एक कार्यकारी अभियंता के समकक्ष एक श्रेणी "*ए*" पद है।

(4) संस्थान के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ विनियम 1967 (जिसे बाद में 'विनियम' के रूप में जाना जाएगा) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विनियमन 37-ए में सेवा-निवृत्ति के संबंध में प्रावधान निहित हैं, जो निम्नानुसार हैंः—-

(5) (1) निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, शिक्षण संकाय के सदस्यों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अलावा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी।

(2) निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, शिक्षण संकाय के सदस्यों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगीः

बशर्ते कि असाधारण मामलों में शिक्षण संकाय के सदस्यों की सेवाओं को 62 वर्ष की आयु तक पदासीन रखना जा सकता है। ऐसे प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए और संबंधित सदस्य की शारीरिक योग्यता और निरंतर दक्षता के अधीन रखा जा सकता है।

(3) इस विनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उसकी राय है कि वह लोक हित में है, तो उसे संस्थान के किसी भी कर्मचारी को कम से कम 3 महीने की लिखित सूचना या ऐसी सूचना के बदले में 3 महीने के वेतन और भत्तों की सूचना देकर उसे सेवानिवृत्त करने का आत्यन्तिक अधिकार रखता है।

(i) यदि वह श्रेणी I या श्रेणी II सेवा या पद पर है और 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले संस्थान की इस सेवा में प्रवेश किया था - 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद और

(ii) अन्य किसी भी मामले में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद;

बशर्ते कि इस उप-विनियमन में कुछ भी चतुर्थ श्रेणी की सेवा या पद के किसी भी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जिसने 7 अगस्त, 1970 को या उससे पहले सेवा में प्रवेश किया था।"

(5) इस विनियमन के अध्ययन से पता चलेगा कि संस्थान के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, सिवाय निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, शिक्षण संकाय के सदस्यों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में जहां यह 60 वर्ष है।निस्सन्देह, वादी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं था।इस प्रकार उन्हें उस वर्ष के महीने के अंत में सेवानिवृत्त होना था जिसमें उन्होंने 58 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। निर्विवाद रूप से यह तिथि 31 मई, 1990 थी।वास्तव में वादी ने इस न्यायालय

में अपने द्वारा दायर 1990 के सी. डब्ल्यू. पी. 8389 में एक शपथ पत्र में कहा कि उसे इस तारीख यानी 31 मई, 1990 को सेवानिवृत्त होना था और फिर 28 मई, 1990 को, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से सिर्फ तीन दिन पहले, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन के साथ वर्तमान मुकदमा दायर किया, जिसमें इस प्रभाव की घोषणा करने की मांग की गई कि 31 मई, 1990 को उन्हें सेवानिवृत्त करने वाले आदेश अवैध थे और संस्थान को उस तारीख से उसे सेवा से सेवानिवृत्त करने से रोकने वाला एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।निचली निचली अदालत ने प्रतिवादी-संस्थान को 30 मई, 1990 के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन का नोटिस जारी किया और अगले दिन, जिस दिन वादी को सेवानिवृत्त होना था, आक्षेपित आदेश पारित किया।

(6) 1 जून, 1990 को, विवादित आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी, जिसे जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को सौंपा था, जिन्होंने पक्षों को 5 जून, 1990 के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था।उस तारीख को पक्षकार पेश हुए और स्थगन मामले को बहस के लिए अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया।लेकिन 6 जून, 1990 को वकीलों की हड़ताल के कारण कोई वकील पेश नहीं हुआ और दोनों पक्षों ने इस आधार पर स्थगन की मांग की।अपील को तब 16 जुलाई, 1990 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि "गर्मियों की छुट्टियों के कारण लंबी तारीख दी गई है और यह भी कि मैं 8 जून, 1990 से गर्मियों की छुट्टी पर रहूंगा और जिला बार अपने प्रस्ताव के अनुसार हड़ताल पर है।"

(7) इस स्थिति का सामना करते हुए, नागरिक प्रक्रिया संहिता की खंड 151 के साथ पठित खंड 24 के तहत संस्थान की ओर से जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा आदेश के विरुद्ध अपील और निषेधाज्ञा आदेश का अवकाश का तत्काल निपटान आवश्यक है और इसके परिणामस्वरूप यह प्रार्थना की गई थी कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित अपील को वापस लिया जाए और जल्द से जल्द निपटाया जाए।हालाँकि, इस प्रार्थना को जिला न्यायाधीश ने इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया, "*आदेश दिया कि अपील पहले ही निपटारे के लिए विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ को सौंपी जा चुकी है और आगे आदेश देते हुए कहा कि इस स्तर पर उस अदालत से इसे वापस लेने के लिए कोई आधार नहीं है क्योंकि इसे बिना किसी कार्य अवधि के निपटाया नहीं जा सकता है।आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।*"

(8) इसी पृष्ठभूमि में यह मामला इस कोर्ट में लाया गया था। यहाँ/विवाद की प्रकृति के संदर्भ में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष लंबित अपील को वापस ले लिया गया और इस अदालत की फाइल में स्थानांतरित कर दिया गया।

(9) मामले के गुण-दोष पर आते हुए, यह *देखा* जाएगा कि वादी द्वारा मांगी गई राहत भेदभाव की याचिका पर आधारित है। भेदभाव की शिकायत जैसा कि वादपत्र में उल्लिखित है, यह की गई कि अभियंत्रण विभाग से संबंधित पांच व्यक्तियों को, 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी, जबकि वादी को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा रहा था। जवाब में, इन पांच व्यक्तियों के संबंध में, संस्थान की ओर से विशेष रूप से कहा गया कि वादी के विपरीत, उनमें से कोई भी वर्ग ए संवर्ग सेवा से संबंधित नहीं था। इसके अलावा, रिकॉर्ड में संस्थान के निदेशक 29 मई 1990 का पत्र भी है वादी को सूचित किया कि ये पाँच व्यक्ति कार्य-प्रभारी प्रतिष्ठान पर पैदा हुए थे और ऐसे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी।इसमें कोई विरोधाभास सामने नहीं आ रहा है।अतः यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा लगाए गए भेदभाव के आरोप किसी भी मान्य आधार से रहित हैं।

(10) वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश चंडीगढ़ के विवादित आदेश को पढ़ने से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत, अस्थायी निषेधाज्ञा के शासी अनुदान को अस्पष्ट कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया गया है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने *हजरत सूरत शाह उर्दू शिक्षा बनाम अब्दुल साहब जे. टी. 1990.(2) एस. सी. 173* कहा है-"कोई अस्थायी निषेधाज्ञा तब तक जारी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तीनों आवश्यक अवयवों पूर्ण तरह सिद्ध नहीं होते हैं, अर्थात् (i) *प्रथमदृष्टया मामला,* (ii) सुविधा का संतुलन, (iii) अपूरणीय क्षति जिसकी भरपाई धन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है।यदि कोई पक्ष तीन अवयवों में से किसी को भी सिद्ध करने में विफल रहता है तो वह निषेधाज्ञा का हकदार नहीं होगा। एक हेडमास्टर द्वारा दायर एक मुकदमे में, यह घोषणा करने की मांग कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश अवैध था, उच्च न्यायालय ने उसके नियोक्ताओं को उसकी सेवा समाप्ति के इस आदेश को लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा दी और इस तरह उसे सेवा में बने रहने में सक्षम बनाया।इस आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वादी जिसे लागू करने का दावा कर रहा था, वह सेवा का अनुबंध था। निषेधाज्ञा के इनकार से उसे कोई अपूरणीय क्षति नहीं हो सकती थी क्योंकि मुकदमे में उसकी सफलता की स्थिति में उसे धन के रूप में क्षति की भरपाई की जा सकती थी। इस प्रकार वह किसी निषेधाज्ञा का हकदार नहीं था।

(11) हमारे न्यायालय की एक न्यायिक मिसाल प्रदान की गई है, *भारत सरकार बनाम बख्शी अमरीक सिंह ए.आई.आर.1963 पंजाब 104* जहां सेवानिवृत्ति से सिर्फ चार दिन पहले, वादी, जो रेलवे स्टेशन, अंबाला में स्टेशन अधीक्षक थे, ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें रेलवे को आधिकारिक रिकॉर्ड में उनकी जन्म तिथि के अनुसार, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त होने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, इस दलील पर कि उनकी सही जन्म तिथि वास्तव में लगभग एक साल बाद थी।जिला न्यायाधीश ने उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप वादी को मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान सेवा

में बने रहने की अनुमति दी गई।हालाँकि, यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन में निर्धारित किया गया था, जहाँ यह कहा गया था, "निषेधाज्ञा का प्रमुख कार्य अपरिवर्तनीय अनिष्ट के खिलाफ निवारक राहत प्रदान करना है।एक क्षति को अपूरणीय माना जाता है और अनिष्ट को अपूरणीय कहा जाता है, जब कार्य की प्रकृति और खतरे की हानि से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आशंकित क्षति की पर्याप्त रूप से पैसे से भरपाई नहीं की जा सकती है।" इसके अलावा, "अदालतें निषेधाज्ञा जारी करती हैं जहां जिस अधिकार की रक्षा करने की मांग की जाती है वह स्पष्ट और निर्विवाद है, न कि, जहां अधिकार संदिग्ध है और कोई आपात स्थिति नहीं है, और इसके अलावा, जहां खतरे में डाली गई क्षति सकारात्मक और पर्याप्त है और अन्यथा अपरिवर्तनीय है।यह भी एक महत्वपूर्ण नियम है कि निषेधाज्ञा की मांग करने वाले पक्षों का आचरण अनुचितता या कठोर व्यवहार से दूषित नहीं होना चाहिए। तदनुसार यह माना गया कि "जब मामले के वास्तविक न्याय के विपरीत काम करने की संभावना हो तो निषेधाज्ञा राहत नहीं दी जानी चाहिए। इस में इस मामला में किन कठिनाइयों को संतुलित करना पड़ा? यदि वादी को लगता है कि वह समय से पहले सेवानिवृत्त हो रहा है, तो वह उस परिलब्धि की सीमा से मापने योग्य हर्जाने का दावा कर सकता है जिससे वह अन्यायपूर्ण रूप से वंचित था।दूसरी ओर यदि वादी वास्तव में सेवानिवृत्ति के कारण 14 जुलाई, 1961 को सेवानिवृत्त होने वाला था, तो उसे उस तारीख के बाद सेवा में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, और विवेकाधिकार के मनमाने प्रयोग के परिणामस्वरूप, वह उस पद पर बना रहता है जो वह 14 जुलाई, 1961 के बाद एक दिन भी नहीं रख सकता था। कार्यालय में अपने गलत तरीके से बने रहने का आदेश देने वाले *न्यायालय के निषेधाज्ञा* आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी के पास कोई पूर्वव्यापी उपाय नहीं है।'

(12) *हजरत सूरत शाह उर्दू शिक्षा बनाम अब्दुल साहब* (उपरोक्त) *के मामले* में विवादित आदेश को इस टिप्पणी के साथ दरकिनार कर दिया गया था कि तथ्यों पर, यह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अलग था।हालाँकि, यह नहीं बताया गया था कि यह यहाँ कैसे प्रासंगिक नहीं था। इसके बजाय, तर्क की एक संदिग्ध प्रक्रिया, ट्रायल *कोर्ट* **मिस राज सोनी बनाम एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन और एक अन्य जे. टी. 1990.(2) एस. सी. 173 और भारत संघ बनाम के. टी. शास्त्री 1990, यू. टी (एस. सी.) 463**, से समर्थन लेता है।दोनों मामलों से निपटने में, शुरू में ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनमें से कोई भी किसी भी अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान से संबंधित नहीं था।जाहिरा तौर पर वादी द्वारा भेदभाव की याचिका के संदर्भ में उनका उल्लेख किया गया था।इस पहलू पर भी, वहाँ के तथ्य यहाँ की स्थिति *से कोई समानता नहीं* रखते हैं।सुश्री राज सोनी का मामला (उपरोक्त) 58 वर्ष की आयु में एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति से संबंधित था।प्रबंधन दिल्ली शिक्षा नियमों का पालन कर रहा था जिसमें 60 वर्ष की आयु में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति का प्रावधान था।परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता भी उसी आयु यानी 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति का *हकदार था।के. टी. शास्त्री* का मामला (उपरोक्त) रक्षा

विज्ञान सेवा से सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति से संबंधित था।सेवा में भर्ती के बाद, कर्मचारियों को तैनात किया गया और उनकी तीन इकाइयों में से एक में स्थानांतरण किया गया।इन तीनों इकाइयों की सेवा की शर्तें समान थीं।1979 में रक्षा विज्ञान सेवा को तीन अलग-अलग इकाइयों में पुनर्गठित किया गया था।इनमें से एक इकाई में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय की गई थी, जबकि अन्य इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तय की गई थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने का हकदार ठहराया गया था।हालाँकि, वर्तमान मामले में, *जैसा कि* पहले बताया गया है, यहां तक कि प्रथमदृष्टया भी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है जिसके बारे में वादी उसके द्वारा दिए गए उदाहरणों के अनुसार शिकायत कर सके। जिन व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रहने की अनुमति दी गई थी, वे कार्य-प्रभारित कर्मचारी थे, जबकि वह ए श्रेणी के अधिकारी थे।

(13) अंतिम उपाय के रूप में, वादी के वकील ने मामले के गुण-दोष को एक तरफ रखते हुए, यह तर्क देकर वर्तमान कार्यवाही की योग्यता पर सवाल उठाने की मांग की कि यह मामला किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इस न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया था। इसलिए, तर्क यह है कि केवल. संस्थान के निदेशक इस संबंध में सक्षम थे और उनकी अनुपस्थिति में, संस्थान के अध्यक्ष द्वारा एक कार्यवाहक निदेशक को नियुक्त किया गया था। निस्संदेह, संस्थान के निदेशक प्रासंगिक समय पर देश से बाहर थे, लेकिन प्रोफेसर पी.एन. शर्मा, जो उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक निदेशक होने का दावा करते थे, को संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, और इसलिए यह याचिका/अपील ऐसा करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की गई थी।

(14) वर्तमान जैसे मामले में, शुरू में ही यह देखा जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के पास निस्संदेह पर्याप्त विरासत शक्ति और अधिकार है, यहां तक *कि अपने* अधीनस्थ न्यायालय से पारित एक गलत या अवैध आदेश को बदलने या रद्द करने के लिए प्रेरित हो सकता है ।वास्तव में, न्याय के हित उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करेंगे। प्रचारित बिंदु का उत्तर, किसी भी दर पर, विनियमों के विनियम 25 द्वारा प्रदान किया जाता है, जो न केवल निदेशक की शक्तियों और कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है, बल्कि विशेष रूप से निदेशक को अपने किसी भी कार्य और शक्ति को संस्थान के किसी भी अधिकारी को सौंपने का अधिकार देता है, निदेशक की ये शक्ति निश्चित रूप से, ऐसी सीमाओं के अधीन हैं, जो शासी निकाय द्वारा लगाई जा सकती हैं।इस संबंध में ऐसी कोई भी सीमा लागू नहीं की गई है। दूसरी ओर, रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस शक्ति के प्रयोग में, निदेशक ने वास्तव में प्रोफेसर शर्मा को कार्यवाहक निदेशक के रूप में अपेक्षित शक्तियां सौंपी थीं और यह याचिका संस्थान की ओर से उक्त प्रोफेसर शर्मा द्वारा दायर की गई है। ओह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यह माना जा सकता है कि ऐसा करने में सक्षम व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है

इसलिए  यह माना जा सकता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी जो ऐसा करने में सक्षम था।

(15) यह तस्वीर जो सामने आती है वह वादी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की आयु से परे सेवा में बने रहने के लिए आधारों पर और उन कारणों से अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने का स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण प्रयास जो स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी में भी थे, पूरी तरह से अस्थिर था ।निचली अदालत ने अपनी ओर से वादी को राहत देने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान को नियंत्रित करने वाले  सुव्यवस्थित स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना की।इसलिए, विवादित आदेश को स्पष्ट रूप से गलत और पूरी तरह से अनुचित करार दिया जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है। इसके अलावा, इस अपील को स्वीकार करते समय वादी पर 5,000 , रुपये की दंडात्मक लागत भी अधिरोपित की जाती है।

(16) यह प्रेक्षित किया कि वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के साथ धारा 151 के तहत स्थानांतरित किए जाने पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से ऐसी थीं कि इस तरह का हस्तक्षेप, उस स्तर पर, अनिवार्य था। किसी न्यायिक अधिकारी के मामले में, जिसे तत्काल मामलों से निपटने का कर्तव्य सौंपा गया है, छुट्टियों के दौरान भी, न्याय के हित इसे बाध्यकारी बनाते हैं कि ऐसे अधिकारी के समक्ष आने वाले किसी भी मामले के गुण-दोष पर उचित ध्यान दिया जाए, ताकि मुद्दे की गंभीरता और महत्व को समझे बिना केवल नियमित आदेशों द्वारा पारित किए जा रहे किसी भी अन्याय से बचा जा सके।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

**प्रियंका वर्मा**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**फ़रीदाबाद, हरियाणा**